न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 75/2026

01. रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल जाति रंगा (ब्राहम्ण) निवासी 23 के.वाई.डी. (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक :–09.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी/प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड कुल 6.1960 हैक्टेयर खातेदार कृषि भूमि प्रार्थी के नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के विरास्तन नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 25.04.1994 व वसीयत नामान्तकरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को खातेदार स्वीकृत हुआ। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/ वादी का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के राजस्व तहसील खाजूवाला चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने विरास्तन नामान्तकरण सख्यां 68 दिनांक 25.04.1994 व वसीयत नामान्तरण संख्या 176 दिनांक 18.03.2016 को भरते समय प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश पुत्र श्री शंकर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजो व विरास्तन दस्तावेज, मुल वसियत नामान्तकरण आदेश में रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से भरकर स्वीकृत करना चाहिए था, इसलिए सहवन से दर्ज प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर दुरूस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पहले संलग्न पहचान के दस्तावेज परिचय पत्र, मुल निवास व अन्य दस्तावेजों व वसियत आदेश का अवलोकन ही नहीं किया, इसलिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहवन से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा जाति ब्राहम्ण निवासी 23 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर अधिनस्थ न्यायालय दुरूस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को कृषि भूमि से संबंधित कागजी कार्यवाही फार्मर आईडी व सरकारी सुविधा के रूप में मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतो व परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा इससे प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हो सकता है। प्रार्थी के विरास्तन व मुल वसियत एवं अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मुल निवास, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकरलाल रंगा अंकित है, जो कि सही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 एल. आर. एक्ट व 88 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल के स्थान पर रमेश कुमार रंगा पुत्र श्री शंकर लाल रंगा दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमानें का निवेदन किया हैं।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट, जमाबन्दी, विरास्तन नामन्तरकरण संख्या 68, वसियत ना.सं. 176 ,आधारकार्ड, पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन जमाबन्दी के चक 23 के.वाई.डी. ए का मु.नं. 79/60 का किला नं. 1 ता 25 का कुल रकबा 6.1960 है0 खाता संख्या 28 रमेश पुत्र शंकरलाल हि0पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 25 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के नामा. सं. 176 की वसीयत के अनुसार रमेश पुत्र शंकरलाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार रमेश कुमार रंगा करवाना चाहता है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 23 के.वाई.डी. ए के खाता संख्या 28 मुरब्बा नं. 79/60 के किला नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा कमाण्ड (6.1960 हैक्टेयर) खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकर लाल की जगह रमेश कुमार रंगा पुत्र शंकरलाल रंगा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रमेश पुत्र श्री शंकरलाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रमेश पुत्र शंकरलाल से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी का व वादी के पिता का नाम रमेश पुत्र श्री शंकरलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 09.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)